

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-

/2012 निगरानी - 762 - J/12

1. नंदकिशोर पिता भगवानसिंह
2. महेश पिता भगवानसिंह
3. श्रीमती सीता बाई पति भगवानसिंह
समस्त जाति खाती, धंधा-कृषि
कृषकगण-ग्राम कराड़िया, नि. ग्राम
कराड़िया, तह. टोंकखुर्द जिला देवास
..... निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. श्री रमेशचंद्र खतेड़िया पिता
नामालूम, उम्र-45 वर्ष, धंधा-
तहसीलदार, तहसील टोंकखुर्द,
जिला देवास
2. भगवानसिंह पिता दरियावसिंह,
उम्र-62 वर्ष
3. राजाराम पिता लक्ष्मण
4. रामेश्वर पिता हीरालाल
5. केदार पिता रामचंद्र
6. हुकुम पिता भागीरथ
7. सुभाष पिता भागीरथ
8. शिवजीराम पिता जगन्नाथ
9. सुनील पिता नारायणसिंह
10. हरिनारायण पिता जगन्नाथ
निवासीगण-ग्राम कराड़िया, तह.
टोंकखुर्द, जिला देवास
11. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी मोजा
ग्राम कराड़िया, तह. टोंकखुर्द,
जिला देवास रेस्पांडेंट्स

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 भू-राजस्व संहिता
प्रकरण क्रमांक-3/निगरानी/11-12 आदेश दिनांक
08/02/2012 से असंतुष्ट व दुखी होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :-


निराकरण 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-762-एक/12

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
S-12-18	<p>आवेदक की ओर से, यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उच्चैय संभाग उच्चैय को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उच्चैय संभाग उच्चैय के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	